कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून - (उत्तराखण्ड)
दूरभाष सं०- 0135-2608973, 2608974

विज्ञप्ति

1– उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में शासनादेश सं० 482/XLIII(1)/15–20(05)14 दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा सृजित निजी सचिव के 01 पद हेतु राज्य सरकार के सचिवालय/ विभागों/ संस्थानों/ निगमों/ आयोगों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ बाह्य सहायतित परियोजनाओं/ समितियों/ परियोजना प्रबंधन इकाईयों आदि के विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के नियमित अथवा सेवानिवृत्त अथवा संविदा पर कार्यरत, निम्न विवरणानुसार न्यूनतम अर्हता रखने वाले, इच्छुक कार्मिकों से आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जाते हैः–

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	नियुक्ति की प्रकृति	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	न्यूनतम अर्हता/ अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निजी सचिव	01	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण	₹ 9300–34800 एवं जी०पी० ₹ 4800/–	वेतनमान ₹ 80000 (नियत) अथवा वेतनमान ₹ 67000–79000 के उपरोक्तानुसार वर्णित राज्य सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के अधिकारियों के साथ निजी सचिव के रुप में न्यूनतम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव। उत्तराखण्ड सचिवालय का कार्यानुभव रखने वाले कार्मिक/अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
			संविदा	नियत वेतन ₹ 30000/– प्रतिमाह	

2– उपरोक्तानुसार नियमित कार्मिक, जो प्रभावी नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्य करने के इच्छुक हों, कृपया अपना सुस्पष्ट आवेदन–पत्र अपने सेवा–विवरण, कार्यानुभव एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित अग्रसारित करायें।

3– उपरोक्तानुसार सेवानिवृत्त कार्मिक एवं संविदा कार्मिक कृपया अपने सेवा विवरण, कार्यानुभव/बायोडाटा, पेंशन भुगतान आदेश (सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु) तथा प्रमाण–पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रति सहित आवेदन–पत्र सीधे प्रेषित करें।

4– आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जा सकता है।

5– उक्त पद माह फरवरी 2016 तक के लिए सृजित है, जिनके निरन्तर बने रहने की संभावना है।

6– आवेदन–पत्र प्रत्येक दशा में सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को उक्त पते पर केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड–पोस्ट के माध्यम से दिनांक 25–09–2015 तक प्राप्त हो जायें। लिफाफे के ऊपर ''निजी सचिव के पद हेतु आवेदन'' लिखा जाये। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

7– उक्त पद/नियुक्ति को बिना सूचना के रद्द करने तथा नियुक्ति पर अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

04 Sep 2015
सचिव
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग